बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

मंत्री परिषद् के अनुमोदन हेतु संलेख

विषय : **"बिहार विरासत विकास समिति", पटना को राज्य के मूर्त्त एवं अमूर्त्त विरासत के सर्वेक्षण, सूचीकरण, प्रकाशन एवं स्थापना व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 में योजनान्तर्गत ₹ 50,00,000/– (पचास लाख रुपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति।**

बिहार के विश्व प्रसिद्ध पुरातात्विक/ऐतिहासिक विरासत के बहुआयामी समुचित सुरक्षा, संरक्षण, संवर्द्धन, उत्खनन, सौन्दर्यीकरण, शोध कार्य, देशी–विदेशी पर्यटकों में आकर्षण एवं विरासत को संसाधन के रूप में विकसित कर जनमानस में विरासत के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन, "बिहार विरासत विकास समिति" नामक एक स्वशासी संस्थान का गठन किया गया है, जो निबंधित है, जिसका मुख्यालय पटना है।

2– बिहार विरासत विकास समिति को मूर्त एवं अमूर्त्त विरासत के सर्वेक्षण, सूचीकरण, प्रकाशन एवं स्थापना पर व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 में योजनान्तर्गत ₹ 50,00,000/– (पचास लाख रुपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई थी समिति द्वारा इस राशि में से ₹ 28,88,051/– (अठाईस लाख अठासी हजार एकावन रुपये) मात्र का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा गया है तथा ₹ 21,11,949/– (एक्कीस लाख ग्यारह हजार नौ सौ उन्चास) प्रत्यर्पित किया गया है। प्रत्यर्पित राशि कोषागार में जमा कर दी गयी है। उपयोगिता प्रमाण पत्र, अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं चलान की प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को विभागीय प्रत्रांक 573, दिनांक 31.12.2013 द्वारा भेज दिया गया है।

3– बिहार विरासत विकास समिति के कार्यालय कार्य की गतिविधियो को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹ 50,00,000/– (पचास लाख रुपये) मात्र का योजना उद्व्यय कर्णांकित है एवं माँग संख्या– 8 के अधीन योजना आय–व्ययक शीर्ष "2205–कला एवं संस्कृति–103–पुरातत्व विज्ञान–0101–पुरातत्व निदेशालय–31 06–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा" विपत्र कोड पी.2205001030101 के अन्तर्गत राशि उपबंधित है।

4– उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार विरासत विकास समिति के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल ₹ 50,00,000/– (पचास लाख रुपये) मात्र सहायक अनुदान स्वीकृत करने का प्रस्ताव है।

5– प्रस्ताव एवं संलेख में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

6– प्रस्ताव एवं संलेख में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

7– कंडिका– 4 के प्रस्ताव में मंत्री परिषद की स्वीकृति प्रार्थित है।

10/2
(चंचल कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– 5पुरा०/3०4-01/2010–37/ पटना, दिनांक 10 फरवरी, 2014.

प्रतिलिपि :– 45 अतिरिक्त प्रतियों के साथ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं मंत्री परिषद की अगली बैठक में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित।

10/2
(चंचल कुमार)
सरकार के सचिव।